कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा

पत्रांक–0955/देवी0/क्षे0प्र0/स्था0–महिला सं0परि0 भर्ती/2025 दिनांक– 07.04.2025

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम
बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/रूपैडीहा डिपो।

विषयः–उ0प्र0 परिवहन निगम मे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन एवं उ0प्र0 कौशल विकास मिशन तथा एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय के कार्यालय पत्रांक–967 सीईएनटी/2025–810निगम/भर्ती–बहाली/2010 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से उ0प्र0 परिवहन निगम में महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक पद पर आबद्ध किया जाना है –

➢ **महिला अभ्यर्थियों को सीधे अनुबन्ध पत्र के आधार पर निम्नवत् स्रोतों से प्रयुक्त किया जाना है–**

1. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
2. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
3. एन0सी0सी0,
4. एन0एस0एस0
5. स्काउट गाइड

➢ संविदा चालकों की भांति महिला अभ्यर्थियों को निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या–27 सीईएनटी/2020–810 निगम/भर्ती–बहाली/2010–2, दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से समान शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट उत्तीर्ण व सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

➢ महिला अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने हेतु भी इण्टरमीडियट मे प्राप्त प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारण करते हुए आबद्धीकरण कार्यवाही की जानी है।

➢ महिला अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त किये जाने हेतु उ0प्र0 राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन एवं उ0प्र0 कौशल विकास मिशन से ऐसी महिला अभ्यर्थी जो कि उपरोक्तानुसार आर्हता एवं माप दण्ड पूर्ण करती है की सूची प्राप्त करते हुए उनके सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यवाही की जानी है।

➢ संविदा चालकों की भांति महिला अभ्यथियों को सीधे अनुबन्ध पत्र के आधार पर परिचालक पद पर प्रयुक्त किये जाने हेतु रोजगार मेले का आयोजन **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा (निकट सद्भावना पुलिस चौकी, सर्कुलर रोड बाईपास झझरी ब्लाक, गोण्डा–271001) में दिनांक 11.04.2025** को निर्धारित किया गया है।

➢ सीधे अनुबन्ध पर आबद्ध की जाने वाली महिला अभ्यथियों को संविदा चालकों/परिचालकों हेतु अनुमन्य पारिश्रमिक दरों एवं प्रोत्साहन का भुगतान समान दर से किया जायेगा।

➢ उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार डिपो, ईकाइयों, सोशल मीडिया आदि से कराया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद पर आबद्ध करते हुये, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई उद्घोषणा के क्रम में महिला सशक्तिकरण अभियान एवं महिला ससम्मान की दिशा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की भूमिका अग्रणी नियमों में से एक हो।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के अनुपालन में डिपो स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक–967 सीईएनटी / 2025–810निगम / भर्ती–बहाली / 2010 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान प्रबन्धक(आई0टी0), महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं बिन्दु संख्या–07 से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. नोडल अधिकारी, महोदय उ0प्र0 परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र / सेवा योजन कार्यालय देवीपाटन मण्डल।
5. कार्यालय प्रति।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
देवीपाटन क्षेत्र